

थाना बिसौली पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी के पुनः गाँव में रहने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बदायूं के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में चलाये जा रहे लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में थाना क्षेत्र में मामूर थे कि दिनांक 19/06/2021 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना बिसौली के ग्राम लक्ष्मीपुर में मा० न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बदायूं के आदेशानुसार जनपद की सीमा से 06 माह की अवधि हेतु निष्कासित किया गया था । वह अब मा० न्यायालय के आदेश की अवेहलना करते हुए ग्राम लक्ष्मीपुर में घर पर मौजूद है । उक्त सूचना पर थाना बिसौली पुलिस द्वारा 30प्र० गुण्डा अधि० नियंत्रण 1970 के अन्तर्गत निष्कासित हुए अभि० मोवीन अहमद पुत्र गुलाम अहमद नि० ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभि० के इस कृत्य के सम्बन्ध में थाना बिसौली पर मु०अ०सं० 234/21 धारा 10 30प्र० गुण्डा अधि० नियंत्रण 1970 पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोवीन अहमद पुत्र गुलाम अहमद नि० ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं ।

अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 234/21 धारा 10 30प्र० गुण्डा अधि० थाना बिसौली जनपद बदायूं,
2. मु०अ०सं० 113/19 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना बिसौली जनपद बदायूं तथा
3. मु०अ०सं० 176/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना बिसौली जनपद बदायूं ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-* 1. प्र०नि० ऋषिपाल सिंह, 2. उ०नि० बृजकिशोर, 3. कां० 1171 मुनासिब पासा तथा 4. कां० 1742 अभिलाष पंवार थाना बिसौली जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।